Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

TO BE SUBSTITUTED BEARTING SAME NUMBER AND DATE

सेवा में

1. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज,
   सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा राज्य में ।
2. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज महिला,
   सभी राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा राज्य में ।

यादि क0 न0 टी–I/दाखिला पालिसी/2013–14/972
दिनांक :– 5.5.2014

विषयः– छात्र/छात्राओं के प्रवास बारे दिशा निर्देश।

....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निदेशालय के पत्र क0 टी–I/दाखिला पालिसी/2013–14 /2311 दिनांक 24.10.2013 के निरन्तर में।

आपको निर्देश दिए जाते है कि भविष्य में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणाधीन छात्र/छात्राओं के प्रवास हेतू निम्न अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:–

1. उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में छात्रों का प्रवास संस्थान के मुखिया द्वारा एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त सीटो को मध्यनजर रखते हुए प्रथम समैस्टर के दाखिले उपरान्त अर्थात् 31 अक्तूबर तक किया जा सकता है ।
2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो एवं राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में प्रशिक्षण ग्रहण कर रही सभी छात्राओं को उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में उनका प्रवास प्रथम समैस्टर के दाखिले उपरान्त अर्थात् 31 अक्तूबर तक तथा शेष सभी समैस्टर के प्रथम मास में किया जा सकता है।
3. NCVT व्यवसाय में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास NCVT व्यवसाय में तथा SCVT व्यवसाय में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास SCVT व्यवसाय में रिक्त सीटों के प्रति ही किया जा सकता है ।
4. प्रवास के आदेश जारी करने से पूर्व सम्बन्धित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त सीटों की पुष्टि करवाई जाए व अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया जाए।
5. मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास केवल मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में ही किया जाए।
6. प्रवास के आदेश जारी करने उपरान्त निदेशालय को अवश्य सूचित किया जाए।

उपरोक्त निर्देशों की दृढता से पालना की जाए।

8/5/14

सहायक निदेशक (प्रशि0–I)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा ।